निगरानी / टीए/862/ 2003/ जयपुर
सीताराम बनाम मांगीलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **डॉ. शिवप्रसाद सिंह, सदस्य**	
15–07–25	**उपस्थित :** श्री हेमंत सोगानी, अभिभाषक प्रार्थी श्री भियांराम चौधरी व श्री शशिकांत जोशी, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 **आदेश** 1– हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–10–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी एवं प्रारूपिक अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं में एक दावा तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का इनमें पक्ष है कि ग्राम मुरलीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 196 रकबा 0.41 हैक्टेयर 213 रकबा 0.45 हैक्टेयर 214 रकबा 0.43 हैक्टेयर व 215 रकबा 0.45 हैक्टेयर को उन्होंने दिनांक 24–12–1999 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त के पड़ौसी काश्तकार हैं जो खेती काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिये उन्हें निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 5–3–2001 द्वारा प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण को विवादित भूमि में मदाखलत न करने की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय न्यायालय ने उसकी अपील निर्णय दिनांक 5–10–2002 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उद्धरित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि पूर्व में विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं गोपाल की संयुक्त कृषि जोत थी और दोनों सहकृषक संयुक्त रूप से ही भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते रहे। संयुक्त कृषि जोत का कभी सहकृषकों के मध्य विभाजन नहीं हुआ था। गोपाल ने उक्त भूमि का विक्रय प्रार्थी के पक्ष में किये जाने हेतु दिनांक 12–02–1998 व दिनांक 25–6–1999 को इकरारनामे तहरीर कर कब्जा संभला दिया और तब से सम्पूर्ण भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं।	

वादीगण/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कभी भूमि विवादग्रस्त पर वास्तविक कब्जा नहीं हुआ परन्तु फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने के प्रश्नाधीन निर्णय पारित किये हैं, जो कि विधिविरूद्ध आदेश हैं। विक्रय संविदा की विशिष्ट अनुपालना के अनुतोष हेतु प्रस्तुत दावे में सक्षम सिविल न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का भूमि पर कब्जा होने की गलत अवधारणा ली गई है, जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी यथावत रखने की त्रुटि की है। विवादित भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण का ही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित दिनांक 05–10–2002 एवं सहायक कलक्टर, चौमू के निर्णय दिनांक 05–03–2001 निरस्त किये जावें।

5– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषकगण अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने बहस में कहा कि सहायक कलक्टर, चौमू द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–03–2001 एव विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–10–2002 विधिसम्मत हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तात्विक त्रुटि नहीं है। उनका तर्क है कि विवादग्रस्त भूमि को उन्होंने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24–12–1999 क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया है तथा उनके पक्ष में विधिवत नामांतकरण खोला जाकर वे भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। विक्रय इकरारनामें के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। सिविल न्यायालय में प्रार्थी का दावा खारिज हो चुका है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन सभी बिंदुओं पर उनका ही विधिसम्मत आधार होना माना है। दोनों न्यायालयों द्वारा समवर्ती निश्कर्ष के साथ उनका पक्ष सही होना माना है तथा निर्णयों में कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी हस्तक्षेप योग्य त्रुटि नहीं है, अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं निगरानी तथ्यों के साथ–साथ अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व अभिलेख का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7– विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 व 2/वादीगण द्वारा दावे के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24–12–1999 भूमि की खरीद कर कब्जा प्राप्त करना तथा उनके पक्ष में नामांतकरण भी स्वीकृत होकर वे भूमि के खातेदार होने के आधार पर प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण पड़ौसी काश्तकार होकर उनके कब्जेकाश्त में मदाखलत करने से उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा गया। प्रकरण में प्रार्थी का पक्ष विक्रय इकरारनामा दिनांक 12–2–1998 तथा दिनांक 25–6–1999 पर आधारित होकर वह अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिकार को अस्वीकार करता है। विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं ने दोनों पक्षों के पक्ष का स्पष्ट एवं गुणावगुण पर परीक्षण करते हुये अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने बाबत तीनों बिंदुओं का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में होना माना है। उनके द्वारा प्रार्थी

के पक्ष में सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश का भी विधिसम्मत विवेचन करते हुये निर्णय दिया गया है, जिस पर हम सहमति रखते हैं। प्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 5–3–2001 के विरूद्ध दायर प्रथम अपील में अपीलीय न्याायलय द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र, कब्जा हस्तांतरण व विक्रय इकरारनामें पर स्पष्ट व विधिसम्मत व्याख्या के साथ प्रार्थी का पक्ष स्वीकार योग्य होना नहीं मानते हुये निर्णय दिनांक 5–10–2002 से अपील खारिज की गई है। हमारे सुविचारित मत में अधीनस्थ दोनों न्याायलयों ने प्रकरण में तथ्यपरक व विधिसम्मत विवेचन के साथ सकारण निर्णयों के जरिये प्रकरण निर्णीत किया गया है। दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिनमें हम किसी प्रकार की हस्तक्षेप योग्य त्रुटि नहीं होना मानते हैं, अतः निगरानी सारहीन होकर स्वीकार योग्य नहीं है।

8– विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य